२४८

COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2018/1931

प्रकरण क्रमांक |२०१८ निगरानी

क्रमांक कें अवकनी 20.3.18
5.4.18

नसीव जाट पुत्र मुख्त्यार सिंह,
निवासी सिलपुरी, तहसील कराहल जिला-
श्योपुर-(मध्यप्रदेश) ।

-------- प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेशशासन व्दारा कलेक्टर महोदय
२- श्रीमती संतोष जाट पत्नी दिलावर सिंह
निवासिन ग्राम सिलपुरी तेहसील कराहल जि
जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर दिनांक २९-८-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १०।१२-१३ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पुर प्रस्तुत है :-

नय महाधिवक्ता, ग्वालियर
प्रति..........
20/3/18
नाम..........

१- यह कि, वर्तमान प्रकरण मे विवादित आदेश मे अंकित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ६०।२ रकवा २.०६० हैक्टयर स्थित ग्राम सरारी खुर्द तहसील कराहल जिला श्योपुर को निगरानी कर्ता ने पंजीकृत विक्रय पत्र व्दारा अभिलिखित भूमि स्वामी प्रतिप्रार्थी क्रमांक २ श्रीमती संतोष से दिनांक २९-०३-१७ को क्रय की है, तथा विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है । इस प्रकार उक्त विक्रीत भूमि प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्वएंव आधिपत्य की होकर प्रार्थी उक्त भूमि के सम्बन्ध मे हित रखने वाला व्यक्ति है तथा विवादित आदेश व्दारा उसके स्वत्व एंव स्वामित्व के सम्बन्ध मे पारित आदेश से दु:खी है, इसी आधार पर वह वर्तमान निगरानी आवेदन पत्र ...

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./श्योपुर/भू.रा./2018/1931 जिला- श्योपुर

नसीव जाट विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	